न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०

पीठासीन अधिकारी

काना राम मीणा,

(RJS)

निर्णय दिनांक :– 12.03.2026

आपराधिक प्रकरण सं. 383/2022

सीआईएस नं. 802/2022

CNR No. RJBR020017532022

एफआईआर सं. 253/2022 पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 504 भा0दं0सं0

PART– I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. जसवन्त उर्फ रिन्कू मीणा पुत्र कन्हैयालाल निवासी कलमण्डा थाना कोतवाली बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा

B

अपराध की दिनांक		03.04.2022
एफआईआर की दिनांक		04.04.2022
आरोप पत्र की दिनांक		28.06.2022
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		28.06.2022
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		05.05.2023
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		12.03.2026
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		12.03.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	12.03.2026

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	जसवंत उर्फ रिन्कू	–	–	341, 323, 504 भा0दं0सं0	दोषसिद्ध	पैरा नंबर 26 पर अंकितानुसार	–

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	चेतन मेघवाल	फरियादी
PW2	सुरेश कुमार	ताईद चश्मदीद वाका व नक्शा मौका
PW 3	जोधराज	ताईद चश्मदीद वाका व नक्शा मौका
PW 4	सावित्री	ताईद चश्मदीद वाका
PW 5	रामगोप	ताईद चश्मदीद वाका
PW 6	जुगराज	ताईद चश्मदीद वाका
PW 7	डॉक्टर जगदीश यादव	चिकित्सीय साक्षी
PW8	नरेन्द्र कुमार	हालात तफ्तीश

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 05.05.23 PW1	पर्चा बयान
2	Ex P2 05.05.23 PW1, PW2, PW3, PW8	नक्शा मौका
3	Ex P3 27.03.24 PW5	पुलिस बयान रामगोप
4	Ex P4 27.03.24 PW6	पुलिस बयान जुगराज
5	Ex P5 26.06.25 PW7	चोट प्रतिवेदन

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 341, 323, 504 भा0दं0सं0 के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.04.2022 को फरियादी चेतन का पर्चा बयान प्रदर्श पी 01 इस आशय का पेश हुआ कि वह कलमण्डा का रहने वाला है। दिनांक 03.04.2022 को समय करीब 10.00 पीएम की बात है वह उसके घर के बाहर चबूतरी पर बैठकर उसकी पत्नी से मोबाईल पर बात कर रहा था कि तभी उनके गांव का रिंकू मीणा, राकेश व सोनू तीनों आए और उससे पूछा कि तेरी ममी कहा है वो उनकी फसल काटने मजदूरी पर क्यों नहीं आई तो उसने कहा अन्दर जाकर पूछ लो उसका काम अलग है। इस पर उन्होंने कहा कि तू ज्यादा समझदार है हम तूझे बताते है और रिंकू के पास की लकडी से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। लकडी की उसके रिकूं ने मारी उससके सिर में लगने से वह बेहोश हो गया था। उसे अस्पताल लाने वाला कोई नहीं था। उसे 10–15 मिनट बाद होश आया तो उसकी मां सावित्री बाई उसके पास खडी थी जिन्होंने उसे संभाला। सुबह उसके पिताजी जो बाहर गांव गए थे वापस आए जो उसे ईलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। उसके साथ मारपीट से उसके गले पर खरोचनुमा चोट आई व माथे पर लकडी की मारने से उसके कान से खून आ गया था। तीनों व्यक्तियों ने उसे जाते हुए को रोककर मारपीट की है.....इत्यादि।

3. उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां पर मुकदमा नं0 253/2022 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323, 504 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त को जुर्म धारा 341, 323, 504 भा0दं0सं0 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में मुल्जिम को झूठा व रंजिशवश फंसाया गया है। घटना स्थल का नक्शा मौका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.04.2022 को समय करीब 10.00 पीएम पर स्थान कलमण्डा बारां पर फरियादी चेतन को आड़े फिरकर रोककर उसका सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ कुंद हथियार से मारपीट कर उसके शरीर पर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित तथा लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से फरियादी के साथ गाली–गलौंच की। यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 चेतन मेघवाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 1 साल पहले रात को 10–10.30 बजे करीब वह उसके घर के बाहर बैठकर उसकी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। इतने में ही उनके गांव का रिन्कू आया और पूछा तेरी मम्मी कहां है। उसने कहा कि रात को इतना लेट क्यों आया है। इसी बात को लेकर उसने उसकी गिरेबान पकड़ ली और उसके हाथ में लकड़ी से उसके सिर पर मारी। थोड़ी देर बाद उसका बडा भाई राकेश व सोनू भी आये और उसके साथ हाथों से मारपीट की। वह सिर में चोट लगने के बाद बेहोश हो गया था, उसे 10–15 मिनट बाद होश आया था। उसका बीच बचाव उसकी माता सावित्री बाई ने करवाया और उसकी मम्मी–पापा उसे ईलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय, बारां में लेकर गये थे। पुलिस अस्पताल में आई थी और उसके पर्चा बयान लिए थे। पर्चा बयान प्रदर्श पी 1 है, पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्रदर्श पी 2 है दोनों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसका मेडिकल व एक्सरे हुआ था।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि रात के 10–10.30 बजे की बात है। वह लडाई झगडा होने के बात अगले दिन सुबह थाने गया था जहां पर उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मारपीट के समय वहां पर कोई नहीं था केवल उसकी मम्मी थी जो अन्दर मकान में थी। उसके साथ मारपीट होते हुए किसी ने नहीं देखा, फिर बाद में उसकी मम्मी उसे छुडवाने आई थी। यह कहना गलत है कि जब उसकी मम्मी आई तब सभी मुलजिमान वहां से भाग चुके हो बल्कि वहीं थे। यह कहना सही है कि उसके साथ मारपीट राकेश व सोनू ने की थी। उनके द्वारा मारपीट करने पर वह नीचे गिर गया था। यह कहना गलत है कि मुलजिम उस समय वक्त घटना ना हो

बल्कि वहीं था और उसके हाथ में गंडासी थी। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 1 पर गंडासी वाली बात लिखी हुई नहीं है। यह कहना गलत है कि उसके साथ मारपीट ना हुई हो। यह कहना गलत है कि उनके व मुलजिमान के मध्य फसल काटने के पैसो की बात को लेकर झुठा मुकदमा दर्ज करवाया हो। यह कहना गलत है कि वह थाने पर ना गया हो बल्कि दो बार गया था। उसकी रिपोर्ट पत्रावली में मौजूद नहीं है। प्रदर्श पी 2 पर जब वह थाने पर गया तब खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–02 सुरेश कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 1 साल पहले रात को 9–10 बजे करीब वह घटना के समय ग्राम दिवाली में था। उसे उसकी पत्नी सावित्री बाई ने फोन करके बताया कि अभी–अभी घर पर रिंकू, देवेन्द्र व राकेश आये और चेतन के साथ लकड़ियों व हाथ से मारपीट करके चले गये। वह सुबह घर पर आया तब वह व उसकी पत्नी रिंकू को बारां अस्पताल ईलाज हेतु लेकर आया था। चेतन के नाक व कान में से खून निकल रहा था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्रदर्श पी 2 है दोनों पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसके सामने कोई लडाई झगडा मारपीट नहीं हुआ। यह कहना गलत है कि उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई हो। यह कहना सही है कि उसने जो थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है वह पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रदर्श पी 2 पर उसने अपने हस्ताक्षर अपने घर पर किए थे। पुलिस वाले मौका देखने आए थे तब हस्ताक्षर करवाए थे। यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने प्रदर्श पी 2 पर खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए हो। यह कहना गलत है कि उनके व मुलजिम के बीच पुरानी रंजिश को लेकर झूठा मुकदमा करवाया हो।

13. गवाह पी0डब्ल्यू–03 जोधराज ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 1 साल पहले रात को 9 बजे करीब वह उसके घर पर था। इतने में ही उसके भाई सुरेश के घर से लड़ाई–झगड़े की आवाज आई। वह घर से बाहर निकला तो राकेश, सोनू व रिंकू तीनों लकड़ियों व हाथों से मारपीट कर रहे थे। राकेश के हाथ में कुटिया था। चेतन के सिर के अलावा शरीर पर अन्य चोटें भी आई थी। फिर वह और उसकी भाभी दोनों बाहर आये तो तीनों मारपीट करके चले गये थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्रदर्श पी 2 है दोनों पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

14. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह वक्त घटना घर के अन्दर था। यह कहना सही है कि जब वह

घर के बाहर आया तब लडाई झगडा हो चुका था। चेतन उसका भतीजा है। यह कहना सही है कि उसने लडाई झगडा होते हुए नहीं देखा, वह बाद में आया था। यह कहना सही है कि मुलजिम ने कब कहा मारी यह उसे पता नहीं है। प्रदर्श पी 2 पर उसके हस्ताक्षर मौके मुआयने पर करवाए थे। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 2 पर उसके हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाए हो।

15. गवाह पी0डब्ल्यू–04 सावित्री ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 1 साल पहले रात को 9 बजे करीब उसका लड़का चेतन घर के बाहर बैठकर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। इतने में ही उनके घर के आगे राकेश, रिंकू व सोनू तीनों भाई आये। राकेश के हाथ में पाईप था, सोनू के हाथ में लकड़ी थी। सोनू ने लकड़ी की चेतन के सिर में मारी थी जिससे उसके कान व नाक से खून निकल आया। फिर उसने व उसके देवर जोधराज ने चेतन का बीचबचाव करवाया और फोन पर उसके पति को घटना की जानकारी दी। उसका पति सुबह आया जब हम चेतन को लेकर बारां अस्पताल में आये।

16. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह घर के अन्दर थी। यह कहना सही है कि जब वह बाहर पहुंची तो झगडा हो चुका था। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई मारपीट ना हुई हो। यह कहना सही है कि राकेश के छोटे भाई ने लकडी की मारी थी। यह कहना सही है कि राकेश व सोनू ने ही मारपीट की थी। अन्य किसी ने मारपीट नहीं की। यह कहना गलत है कि उनके व मुलजिम के बीच कोई पुरानी रंजिश चल रही हो।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–05 रामगोप व गवाह पी.डब्ल्यू–06 जुगराज के द्वारा अपने–अपने बयानो में घटना की ताईद नही करते हुये उक्त गवाहान प्रकरण में पूर्णरूप से पक्षद्रोही घोषित हुए है।

18. गवाह पी0डब्ल्यू–07 डॉक्टर जगदीश यादव ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 04.04.2022 को राजकीय चिकित्सालय बारां में एसएमओ के पद पर कार्यरत था उस दिन उसने एसएचओ थाना कोतवाली के प्रतिवेदन पर चेतन कुमार पुत्र सुरेश कुमार उम्र 26 वर्ष निवासी कलमंडा के शरीर पर आई चोटों का डॉक्टरी का मुआयना किया था। चोट नं 01 सूजन 10 गुना 10 सेमी जो ललाट पर आई हुई थी। चोट नं 02 मल्टीपल एबरेजन्स साईज 4 गुना 0.5 सेमी से लगाकर 3 गुना 0.5 सेमी जो गर्दन के दायीं तरफ आए हुए थे। सभी चोटें कुंद हथियार से आई हुई थी। सभी चोटों की राया सुरक्षित रखते हुए एक्स रे की सलाह दी गई थी। सिर के सिटी स्कैन की सलाह दी गई

थी। बाद रेडियोलाजिस्ट की राय के अनुसार चोट नं 01 व 02 साधारण प्रकृति की पाई गई। ंचोटों की अवधि 24 घंटों के अंदर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–पी 05 है जिस पर ए से बी दो जगह उसके हस्ताक्षर है। सी से डी मजरूब का पहचान चिह्न है। ई से एफ बाद एक्स रे उसकी राय है। बाद एक्स रे चोटें साधारण प्रकृति की पाई गई।

19. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि अगर कोई व्यक्ति दौडता भागता गर्दन के बल खाट के पहिये पर गिर जाए तो प्रदर्श–पी 05 की समस्त चोटें आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

20. गवाह पी0डब्ल्यू–08 नरेन्द्र कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 04.04.2022 को पुलिस थाना कोतवाली बारां में एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन आईसी थाना द्वारा मुकदमा नं 253/2022 अंतर्गत धारा 341,323,34 आईपीसी की पत्रावली अनुसंधान हेतु सुपुर्द की। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श–पी 02 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। बयानात गवाहन चेतन कुमार, जोधराज, सावित्री बाई, रामगोप, जुगराज, राजेन्द्र कुमार के उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। मजरूब चेतन कुमार की एमएलसी एक्स रे करवाकर शामिल पत्रावली की। बाद अनुसंधान मुलजिम जसवंत उर्फ रिंकू के विरूद्ध धारा 341, 323, 504 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली चालान हेतु एसएचओ को लौटाई।

21. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि घटना के संदर्भ में उसने केसरीलाल जी के बयान दर्ज नहीं करवाये है, क्योंकि वो घटना के समय बाहर होना बताया था। यह कहना सही है कि घ ाटना स्थल पर किसी प्रकार के भौतिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुये। यह कहना गलत है कि मजरूब और मुलजिमान के मध्य पहले की कोई रजिंश हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। मुकदमा दर्ज होने के दूसरे दिन नक्शा मौका बनाया था।

22. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकरण में पर्चा बयान प्रदर्श पी 01 परिवादी चेतन के द्वारा इस आशय का दर्ज करवाया गया है कि दिनांक 03.04.2022 को 10.00 पीएम पर वह अपने घर के बाहर चबूतरी पर बैठकर अपनी पत्नी से मोबाईल पर बात करने, तभी उनके गांव का रिंकू, राकेश व सोनू तीनों आने और उससे पूछने कि उसकी मम्मी फसल काटने मजदूरी पर क्यों नहीं आई, उसके द्वारा अंदर जाकर पूछने की कहने पर रिंकू के द्वारा उसकी पास की लकडी से उसके साथ मारपीट शुरू कर देने,

लकडी से उसके सिर में मारने जिससे वह बेहोश हो जाने तथा तीनों व्यक्तियों के द्वारा उसे जाते हुए को रोककर उसके साथ मारपीट करने के बाबत् पेश की है जिस संबंध में परिवादी चेतन पी.डब्ल्यू–01 के रूप में परीक्षित होते हुए उक्त गवाह ने अपने बयानों में वह अपने घर के बाहर बैठकर अपनी पत्नी से फोन पर बात करने, इतने में रिंकू आने और उसकी मम्मी की पूछने, उसके द्वारा रात को लेट क्यों आने की कहा तो इसी बात को लेकर उसकी गिरेबान पकड लेने व उसके सिर में लकडी से मारने जिससे वह बेहोश हो जाने व घटना के बाबत् पर्चा बयान प्रदर्श पी 01 दर्ज करवाने व नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने व मेडिकल होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए उक्त गवाह ने जिरह में मुल्जिम वक्त घटना मौजूद होने, उसके साथ मारपीट होने व उसकी मम्मी उसे छुडवाने आने के बाबत् साक्ष्य देते हुए घटना की संपुष्टि किया जाना पूर्णरूप से प्रकट होता है जिस बाबत् मुल्जिम की ओर से कोई खंडन्न नहीं किया जाना प्रकट होता है। इसी प्रकार परिवादी की मम्मी गवाह पी.डब्ल्यू–04 सावित्री के द्वारा भी अपने बयानों में उसका लडका चेतन घर के बाहर बैठकर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा होने, इतने में ही उनके घर के आगे राकेश, रिंकू व सोनू आने व चेतन के सिर में लकडी की मारने जिससे उसके कान व नाम में खून निकल आने तथा फोन पर उसके पति को घ ाटना की जानकारी देने, उसके पति सुबह आये जब वे चेतन को अस्पताल लेकर जाने एवं उसके व उसके देवर जोधराज के द्वारा चेतन का बीच–बचाव करवाने के बाबत् साक्ष्य देते हुए जिरह में उसके सामने मारपीट होने, राकेश के छोटे भाई ने लकडी की मारने के बाबत् साक्ष्य देते हुए परिवादी के बयानों व घटना की ताईद अपने बयानों में पूर्ण रूप से किया जाना प्रकट होता है तथा परिवादी की मम्मी के द्वारा अपने बयानों में परिवादी का बीच–बचाव उसके व जोधराज के द्वारा किया जाना अपने बयानों में प्रकट किया है जिस संबंध में जोधराज गवाह पी.डब्ल्यू–03 के रूप में न्यायालय में परीक्षित होते हुए अपने बयानों में करीब 1 साल पहले उसके भाई सुरेश के घर से लडाई–झगडे की आवाज आने, वह घर से बाहर निकला तो राकेश, सोनू व रिंकू तीनों लकडियों व हाथों से मारपीट कर रहे होने, चेतन के सिर के अलावा शरीर पर अन्य चोटें भी आने व नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 व घटना की संपुष्टि किया जाना प्रकट होता है जिस संबंध में मुल्जिम की ओर से कोई खंडन्न नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा परिवादी का पिता सुरेश कुमार पी.डब्ल्यू–02 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित होते हुए उसकी पत्नी सावित्री के द्वारा फोन पर रिंकू, देवेन्द्र व राकेश के द्वारा चेतन के साथ लकडियों व हाथों से मारपीट करने की बताने,

उसके द्वारा सुबह घर आने पर चेतन को अस्पताल में लेकर आने, चेतन के नाम व कान से खून निकल रहा होने तथा घटनास्थन का नक्शा मौका 02 पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए घटना की संपुष्टि अपने बयानों में किया जाना प्रकट होता है। इसी प्रकार आहत की चोटों का मेडिकल परीक्षण करने वाला गवाह पी.डब्ल्यू–07 डॉक्टर जगदीश यादव परीक्षित होते हुए मजरूब के शरीर पर कुल दो चोटें ललाट पर सूजन व मल्टीपल एबरेजन्स गर्दन के दांई तरफ होते हुए उक्त चोटें साधारण प्रकृति की व कुंद हथियार से कारित होने व चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 05 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए मजरूब के चोटों की संपुष्टि किया जाना प्रकट होता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–05 रामगोप व गवाह पी.डब्ल्यू–06 जुगराज प्रकरण में घटना की ताईद नहीं करते हुए पक्षद्रोही घोषित होना प्रकट होते हैं तथा प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू–08 नरेन्द्र कुमार के द्वारा अपने बयानों में गवाहान के बयान लेखबद्ध करते हुए नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 मुर्तिब कर मजरूब का मेडिकल परीक्षण करवाते हुए मुल्जिम के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दिया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में परिवादी के द्वारा जो घटना बताई गई है उसकी संपुष्टि स्वयं परिवादी व गवाह सुरेश कुमार, जोधराज, सावित्री के द्वारा अपने बयानों में किया जाना प्रकट होता है तथा परिवादी के शरीर पर आई हुई चोटों की पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू–07 डॉक्टर जगदीश यादव के द्वारा अपने बयानों में किया जाना प्रकट होता है तथा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 गवाहान के बयानों से प्रमाणित होना प्रकट होता है तथा मुल्जिम ने घटना न कारित की हो इस संबंध में कोई खंडन्न पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है तथा अभियुक्त के द्वारा परिवादी के साथ गाली–गलौच करते हुए सदोष अवरोध कर मारपीट कर उसे साधारण प्रकृति की चोटें कारित करते हुए उक्त घटना कारित किए जाने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद होना प्रकट होती है, जिस संबंध में मुल्जिम की ओर से कोई खंडन्न नहीं किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में मुल्जिम को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 504 भा0दं0सं0 में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

23. अतः अभियुक्त **जसवन्त उर्फ रिन्कू** मीणा पुत्र कन्हैयालाल निवासी कलमण्डा थाना कोतवाली बारां राज. को आरोपित अंतर्गत धारा 323, 341, 504 भा0दं0सं0

के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत् पूर्व जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

<u>सजा के बिन्दु पर सुनवायी :–</u>

24. दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है। इसका विरोध करते हुए विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

25. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया, पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त प्रकरण में वर्ष 2022 से अन्वीक्षा भुगत रहा है और अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर कोई पूर्व दोषसिद्धि बाबत् रिकॉर्ड भी नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित् प्रतीत होता है।

<u>–:: दण्डादेश ::–</u>

26. अतः अभियुक्त **जसवन्त उर्फ रिन्कू** मीणा पुत्र कन्हैयालाल निवासी कलमण्डा थाना कोतवाली बारां राज. को आरोपित अंतर्गत धारा 323, 341, 504 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। जिसके लिए अभियुक्त को तुरन्त कारावास की सजा से दण्डित न किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/– रूपये की राशि की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इन शर्तों का पेश कर तस्दीक करा दे कि वे इस अवधि में शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्डादेश पाएगा, तब उन्हें परिवीक्षा पर छोडा जावे। साथ ही अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 600/– रुपये (अक्षरे कुल छः सौ रूपये) अभियोजन व्यय स्वरूप अधिरोपित किये जाते हैं। उक्त राशि में से 500 रूपये आहत चेतन कुमार को बाद गुजरने मियाद अपील बतौर

क्षतिपूर्ति दिलाया जावे। शेष राशि 100/– जमा राजकोष रहे तथा अभियुक्त द्वारा प्रथम बार परिवीक्षा का लाभ लेने बाबत् शपथ–पत्र भी पेश किया जावे एवं अभियुक्त के भावी जीवन को देखते हुए उन्हें धारा 12 परीविक्षा अधिनियम का लाभ भी दिया जाता है कि उक्त दोषसिद्धि उनके भावी जीवन को प्रभावित व ग्रसित नहीं करेगी।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

27. निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

NIKITA CHOUDHARY

Steno Gr. lll
"Authenticate Document"
Digitally signed by NIKITA CHOUDHARY
Date: 2026.03.12 16:59:43 +0530